Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2299./30-04-10-8(19)/09TC. dated November 08, 2010

NOTIFICATION

No. 2299./30-04-10-8(19)/09TC
Lucknow : Dated: November 08, 2010

In exercise of the powers under sub-section (2-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1998/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 namely :-

Amendment

In the aforesaid notification, in the table , after serial no. (4) the following serial shall be inserted namely:-

" (5) Any motor vehicle specified in the table, which is not exempted from permit under sub-section (3) of Section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988, if found plying without permit , the tax payable in respect of such vehicle shall be an amount equivalent to five times of the the rate as specified in column 3 for such motor vehicle."

By Order,
(MAJID ALI)
Pramukh Sachiv.

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2298../30-04-10-8(19)/09TC, dated November 18, 2010.

NOTIFICATION

No. 2298./30-04-10-8(19)/09TC
Lucknow : Dated: November 18 2010

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (UPAct no. 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1997/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 namely:-

Amendment

In the aforesaid notification, in the table :-

(1) in the table, in serial no. 1,-
(a) in column 3 for the figures " 550" the figures " 660" shall be substituted:

(b) in column -4 for the figures " 2000" the figures " 2350" shall be substituted:

(2) after the existing third proviso the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided also that any motor vehicle specified in the table, which is not exempted from permit under sub-section (3) of Section 66 of Motor Vehicles Act, 1988, if found plying without permit, the tax payable in respect of such vehicle shall be an amount equivalent to five times of the the rate as specified in column 3 for such motor vehicle.

By Order.

(MAJID ALI)
Pramukh Sachiv.

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2297.../30-04-10-8(19)/09TC, dated November 08, 2010

NOTIFICATION

No.2297../30-04-10-8(19)/09TC
Lucknow : Dated: November 08, 2010

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (UPAct no. 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1996/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 :-

Amendment

In the aforesaid notification, in the table :-

(a) in serial nos. 1 and 2, in column 3 for the figure and words " 5 % of the cost of vehicle" the figure and words " 7 % of the —cost of vehicle" shall be substituted;

(b) in serial no. 3, in column- 3 for the figure and words " 6 % of the cost of vehicle" the figure and words " 7 % of the cost of vehicle" shall be substituted;

By Order,

(MAJID ALI)
Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–4
संख्या 2219 / 30-04-10-8(19)/09TC
लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1998 / 30–4–09–8(19) / 09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में कम संख्या(4) के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात–

"(5) सारणी में विनिर्दिष्ट कोई मोटरयान जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन परमिट से छूट नहीं प्रदान की गयी है, यदि बिना परमिट चलता हुआ पाया गया, तो ऐसे यान हेतु सारणी के स्तम्भ–3 में यथा विर्निदिष्ट दर के पाँच गुनी राशि के बराबर कर देय होगा। "

आज्ञा से,
(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–4
संख्या 2298 / 30-04-10-8(19)/09TC
लखनऊः दिनांकः 08 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या1997 / 30–4–09–8(19) / 09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में–

(1) सारणी में क्रम संख्या–1 में
(क) स्तम्भ–3 में अंक "550" के स्थान पर अंक "660" रख दिये जायेंगे ;
(ख) स्तम्भ–4 में दिये गये अंक "2000" के स्थान पर अंक "2350" रख दिये जायेंगे।

(2) विद्यमान तीसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

परन्तु यह भी कि सारणी में विर्निदिष्ट कोई मोटरयान, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप धारा (3) के अधीन परमिट से छूट प्रदान नहीं की गयी है, यदि बिना परमिट चलता हुआ पाया गया, तो ऐसे यान हेतु सारणी के स्तम्भ–3 में यथा विर्निदिष्ट दर के पाँच गुना कर के बराबर राशि देय होगी।

आज्ञा से,
(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–4
संख्या 2297 / 30-04-10-8(19)/09TC
लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या1996 / 30–4–09–8(19) / 09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में–

(क) क्रम संख्या–1 एवं 2 में स्तम्भ 3 में अंक और शब्द "यान के मूल्य का 5%" के स्थान पर अंक और शब्द "यान के मूल्य का 7%" रख दिये जायेंगे;

(ख) क्रम संख्या–3 में स्तम्भ 3 में अंक और शब्द "यान के मूल्य का 6%" के स्थान पर अंक और शब्द "यान के मूल्य का 7%" रख दिये जायेंगे;

आज्ञा से,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।